प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 फरवरी, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र प्रताप सिंह यादव उर्फ जीतू पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप सिंह यादव, निवासी जनपद-झॉसी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-7419/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.01.2022) दिनांक-09.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र प्रताप सिंह यादव उर्फ जीतू पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप सिंह यादव, 1168/1 सिविल लाइन, थाना-नवाबाद, जनपद-झॉसी का निवासी है। रविश कुमार पाण्डेय, एरा मेडिकल कालेज, लखनऊ में एमबीबीएस का छात्र था, उसके सहपाठी प्रियंका तिवारी के साथ प्रेम संबंध थे। प्रियंका का पूर्व प्रेमी बंदी जितेन्द्र अक्सर धमकियां देता था और इसी रंजिश में दिनांक 14.05.2004 को समय लगभग 3.30 बजे दिन में तमंचे से गोली मारकर रवीश कुमार पाण्डेय की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटीनं0-645/2004 व 646/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 एवं 25 शस्त्र अधि0 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-12, लखनऊ के आदेश दिनांक 23.04.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.08.2017 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 13.12.2021 तक 16 वर्ष, 08 माह, 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 07 माह, 27 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 06.08.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी से हुई वार्ता, शारीरिक दशा, आयु को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने का अंकन करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए अशक्त प्रतीत नहीं होने, बंदी द्वारा किये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुए समयपूर्व मुक्ति से समाज में गलत संदेश जाने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पूर्व प्रेमिका प्रियंका तिवारी के अपने सहपाठी रवीश कुमार पाण्डेय से प्रेम संबंध होने की रंजिश में दिनांक 14.05.2004 को तमंचे से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने व पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओ की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओ की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र प्रताप सिंह यादव उर्फ जीतू पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप सिंह यादव को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र प्रताप सिंह यादव उर्फ जीतू (बन्दी संख्या-03/2018) पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप सिंह यादव, निवासी जनपद-झॉसी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-144/2025/463(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-144/2025/463/22-2-2022-17(1047)/2019

दिनांक 20 फरवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र प्रताप सिंह यादव उर्फ जीतू पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप सिंह यादव, 1168/1 सिविल लाइन, थाना-नवाबाद, जनपद-झॉसी का निवासी है। रविश कुमार पाण्डेय, एरा मेडिकल कालेज, लखनऊ में एमबीबीएस का छात्र था, उसके सहपाठी प्रियंका तिवारी के साथ प्रेम संबंध थे। प्रियंका का पूर्व प्रेमी बंदी जितेन्द्र अक्सर धमकियां देता था और इसी रंजिश में दिनांक 14.05.2004 को समय लगभग 3.30 बजे दिन में तमंचे से गोली मारकर रवीश कुमार पाण्डेय की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटीनं0-645/2004 व 646/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 एवं 25 शस्त्र अधि0 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-12, लखनऊ के आदेश दिनांक 23.04.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.08.2017 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 13.12.2021 तक 16 वर्ष, 08 माह, 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 07 माह, 27 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 06.08.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी से हुई वार्ता, शारीरिक दशा, आयु को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने का अंकन करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए अशक्त प्रतीत नहीं होने, बंदी द्वारा किये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुए समयपूर्व मुक्ति से समाज में गलत संदेश जाने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पूर्व प्रेमिका प्रियंका तिवारी के अपने सहपाठी रवीश कुमार पाण्डेय से प्रेम संबंध होने की रंजिश में दिनांक 14.05.2004 को तमंचे से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने व पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओ की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओ की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र प्रताप सिंह यादव उर्फ जीतू पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप सिंह यादव को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in